राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

भौरीलाल बनाम महेश कुमार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	167/go26	
14/05/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई	अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित	अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी	पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 18/05/2026 को पेश हो		
18/05/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई	संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि वादी की स्वयं की खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि ग्राम चावण्डकामण्ड पटवार हल्का सायपुरा में आराजी खसरा नम्बर 520 रकबा 0.4100 हैक्टेयर स्थित हैं	उक्त वर्णित वादग्रस्त आराजी ग्राम चावण्डकामण्ड पटवार हल्का सायपुरा में आराजी खसरा नम्बर 520 स्थित भूमि पर वादी मौके पर काबिज काश्तकार हैं, जो अपनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की उक्त भूमि पर लय साधिकार काबिज काश्त है। वादी के कब्जे काश्त व हक अधिकार खातेदारी की वादग्रस्त भूमि से प्रतिवादी संख्या 1 का कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं हैं। वादी वादग्रस्त आराजी पर रिकार्डेड खातेदार की हैसियत से खुद काश्त करता हैं तथा वादी को अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की वादग्रस्त कृषि भूमि की सुरक्षा करने, उपयोग व उपभोग कर शांति पूर्ण काश्त करने का पूर्ण कानूनी अधिकार प्राप्त हैं तथा प्रतिवादी सं. 1 का वादग्रस्त आराजी से कोई लेना देना नहीं हैं। उक्त वर्णित वादी की वादग्रस्त आराजी से प्रतिवादी सं. 1 का कोई लेना देना व सरोकार नहीं हैं, लेकिन फिर भी प्रतिवादी सं. 1 वादी कि खातेदारी भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर रहा हैं तथा वादी को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करके वादी के द्वारा भूमि वादग्रस्त के उपयोग उपभोग व कृषि कार्य करने में बाधा दखल उत्पन्न करता हैं जिसका कि प्रतिवादी सं. 1 को कतई ही अधिकार नहीं हैं। प्रतिवादी सं. 1 ने अपने परिवारजन को साथ लेकर वादी के विरूद्ध एक नाजायज गिरोह, केवल मात्र वादग्रस्त भूमि में वादी के शांति पूर्वक कब्जे काश्त में बाधा, दखल करके अतिक्रमण करने के इरादे से एवं लाठी व ताकत के जोर पर वादी को जबरन बेदखल करके वादी की भूमि में कब्जा व अतिक्रमण कर वादी के कब्जे व कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा है, जबकि प्रतिवादी सं. 1 व उनके परिवारजन का वादी की उक्त वादग्रस्त आराजी में किसी भी प्रकार का कतई कोई हक अधिकार नहीं हैं, फिर भी प्रतिवादी 1 ने वादी को बेदखल कर दिया तथा संलग्न नजरी नक्शे में हरे रंग से दर्शायें गये स्थान पर वादी की वादग्रस्त भूमि पर अपना अतिक्रमण कर लिया हैं व मौके की स्थिति में परिवर्तन करने पर आमादा है। प्रतिवादी सं. 1 की उक्त समस्त कार्यवाहीयां		

पूर्णतया आपराधिक व गैर कानूनी हैं। जिनको रोकने व रूकवाने के लिए वादी को वादपत्र माननीय न्यायालय में पेश करना लाजमी हुआ हैं। न्यायालय आदेश द्वारा कि गई पत्थरगढी को पूर्व में हि उखाडने दिया हैं। दिनांक 10-10-2019 को अपने नाजायज इरादो में कामयाब होने के उद्देश्य से प्रतिवादी 1 ने वादी से गाली गलौच कि तथा मौके पर वादी की भूमि में अवैध प्रवेश करते हुए मौके पर कब्जा कर रहा है। प्रतिवादी सं. 1 के उक्त कृत्यों के कारण वाद कारण उत्पन्न होकर आज तक निरन्तर जारी हैं जिससे यह वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ। अतः उक्त वादांकित भूमि ग्राम चावण्ड का मण्ड, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 520 रकबा 0.4100 है. पर संलग्न नजरी नक्शें अनुसार प्रतिवादी सं. द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाया जावें तथा उक्त भूमि वादीगण को सम्भलाई जावें एवं प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जावें कि भविष्य में उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण कर कब्जा ना तो स्वयं करे ना ही अपने ऐजेन्ट सर्वेन्ट, भाई बन्धुओं से करावें।
रावें।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | प्रतिवादी संख्या 1 दौराने वाद फौत होने से प्रतिवादी संख्या 1/1 व 1/2 को पक्षकार बनाये जाने के पश्चात बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादी संख्या 1/1 व 1/2 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी | प्रतिवादी संख्या 2 ने अपना जवाब पेश किया | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी एवं पैरोकार की बहस समायत कर निर्णय व डिक्री दिनांक 17/12/2025 पारित करते हुये वादी का वाद डिक्री कर दिया गया | जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी | जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी |

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों का समुचित परिक्षण/विवेचन करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नही समझा जाता है |

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

भौरीलाल बनाम महेश कुमार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	167/2026	

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधि न निर्णय व डिक्री दिंन्क 17/12/2025 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 18/05/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |